

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 462]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 22 सितम्बर 2010—भाद्र 31, शक 1932

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2010

क्र. एफ-14-82-1988-दस-2.—वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वन्यजीव (संरक्षण) (मध्यप्रदेश) नियम, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 34 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“34. धारा 28 (1) (ख) और (घ) के प्रयोजनों (फोटोग्राफी एवं पर्यटन) के लिए राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों में प्रवेश:

- (1) कोई भी व्यक्ति वन विभाग द्वारा जारी प्रवेश अनुज्ञापत्र के बिना फोटोग्राफी और/या पर्यटन के प्रयोजन से किसी राष्ट्रीय उद्यान या किसी अभयारण्य में प्रवेश नहीं करेगा.
- (2) अनुज्ञापत्र की वैधता.— उप नियम (1) के अधीन जारी किया गया प्रवेश अनुज्ञापत्र, एक बार प्रवेश या प्रवेश अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट की गयी कालावधि के लिए वैध होगा.
- (3) प्रवेश शुल्क.— उप नियम (1) में उल्लिखित प्रवेश अनुज्ञापत्रों हेतु देय प्रवेश शुल्क निम्नानुसार होगा :—

## सारणी-एक

अनु क्रमांक	प्रवेश का प्रयोजन	टाईगर रिजर्व/ संरक्षित क्षेत्र	दो पहिया वाहन		हल्के वाहन (8 व्यक्तियों तक)		मिनी बस (9 से 32 व्यक्तियों तक)		अभ्युक्तियां  (10)
			भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	वाहन से वन्यजीव दर्शन (प्रति राउण्ड)	समस्त टाइगर रिजर्व	-	-	1000	2000	1600	12000	यदि किसी वाहन में मिश्रित राष्ट्रीयता के पर्यटक सवार हों तो विदेशी नागरिकों हेतु निर्धारित दर लागू होगी.
		अन्य संरक्षित क्षेत्र	-	-	400	1500	1000	10000	
		वाहन से विशिष्ट स्थलों के दर्शन	पचमढी व्यू पाइंट्स	100	600	250 (5 व्यक्तियों तक) 300 (6 से 10 व्यक्तियों तक)	1500	1000	
		वन विहार राष्ट्रीय उद्यान	50	200	150 (5 व्यक्तियों तक) 200 (6 से 8 व्यक्तियों तक)	600 (5 व्यक्तियों तक) 800 (6 से 8 व्यक्तियों तक)	600	2500	
		अन्य विनिर्दिष्ट स्थल (पांडव फॉल रनेह फॉल एवं प्रबंधन द्वारा चिन्हित किए गये अन्य स्थल).	40	200	200	1000	400	2000	एक राउण्ड की अवधि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित की जा सकेगी.

सारणी-दो

अनु क्रमांक (1)	प्रवेश का प्रयोजन (2)	राष्ट्रीय उद्यान/ अभयारण्य/स्थल (3)	भारतीय नागरिक (4)	विदेशी (5)	अभ्युक्तियां (6)
1.	किसी विशिष्ट स्थल के पैदल दर्शन	फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान पचमढी व्यू पाइंट्स वन विहार राष्ट्रीय उद्यान अन्य	10 20 20 15	150 200 200 150	प्रति व्यक्ति तदैव तदैव तदैव
2.	ट्रेकिंग (पैदल लंबा भ्रमण)/ साइकिलिंग (विनिर्दिष्ट मार्गों पर).	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान अन्य	50 100	500 1000	प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति
3.	कैंपिंग(केवल क्षेत्र संचालक/ वन संरक्षण द्वारा चिन्हित अहातों में)	सभी राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य	300	3000	प्रति रात्रि इस दर में निर्धारित मार्गों पर ट्रेकिंग/साइकिलिंग भी सम्मिलित है, केम्प स्थल पर आगमन तथा वहां से प्रस्थान सामान्य पर्यटन अवधि में ही अनुमति योग्य होगा.
4.	हाइड/मचान/वॉच टॉवर (बुर्ज) से वन्यजीव दर्शन	टाईगर रिजर्व अन्य	150 75	1500 750	स्थल की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा किसी भी स्थल पर व्यक्तियों की संख्या निर्धारित की जा सकती है.
5.	शासकीय वाहन (मिनी बस) से वन्यजीव दर्शन	समस्त (वन विहार को छोड़कर)	100	500	प्रति व्यक्ति/प्रति राउण्ड

**टिप्पणियां :-**(एक) आटोरिक्षा का प्रवेश शुल्क दो पहिया वाहन से दुगना होगा.

(दो) एक मिनी बस में 32 से अधिक प्रत्येक व्यक्ति के लिए रुपये 50/- (भारतीय पर्यटक) एवं रुपये 500/- (विदेशी पर्यटक) शुल्क देय होगा.

(तीन) क्षेत्र संचालक/वन संरक्षक, संरक्षित क्षेत्र में किसी भी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश को प्रतिषेध कर सकेंगे अथवा वाहनों के लिए ऐसे विशेष विवरण निर्धारित कर सकेंगे जिनसे संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश की अनुज्ञा दी जा सकती हो.

(चार) वाहन चालक तथा गाइड/नेचुरेलिस्ट वाहन हेतु अनुज्ञात सवारियों में गिने जाएंगे.

(4) रातापानी, अभयारण्य में विश्व धरोहर स्थल-भीमबैटिका के भ्रमण हेतु दरें निम्नानुसार होंगी:—

अनुक्रमांक	विवरण	प्रवेश शुल्क (रुपये)	
		भारतीय	(विदेशी)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पर्यटक	10	100
2	हल्के वाहन	50	200
3	मिनी बस/अन्य	100	400

(5) वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निःशक्त व्यक्ति तथा गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को पैदल अथवा साइकिल से भ्रमण करने पर निर्धारित प्रवेश शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जावेगी. छूट प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रवेश द्वार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(6) वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सुबह की सैर करने वाले, साइकिल पर भ्रमण करने वाले व्यक्तियों के लिए नियमित पास बनाए जाएंगे जिसके लिए प्रतिव्यक्ति निम्नानुसार शुल्क होगा.

मासिक शुल्क	-	रुपये 100/-
वार्षिक शुल्क	-	रुपये 1000/-
आजीवन सदस्यता	-	रुपये 15000/-

(7) किसी होटल, लॉज या अन्य किसी वाणिज्यिक या व्यवसायिक सत्ता के नाम से जारी प्रवेश अनुज्ञापत्र हेतु उपनियम (3) में वर्णित दरों का दो गुना वाणिज्यिक शुल्क देय होगा. ये अनुज्ञापत्र वाणिज्यिक पर्यटक अनुज्ञापत्र कहलाएंगे.

(8) किसी राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य का प्रभारी क्षेत्र संचालक/संचालक/मुख्य वन संरक्षक पर्यटकों को नियमित रूप से भ्रमण कराने वाले वाहन चालकों के पंजीकरण हेतु प्रावधान कर सकेगा किसी अपंजीकृत वाहन चालक द्वारा पर्यटकों को ऐसे राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्यों में लाये जाने पर, उससे समान क्षमता के पंजीकृत वाहनों हेतु निर्धारित शुल्क का दोगुना शुल्क लिया जायेगा.

(9) हाथी पर भ्रमण :

(क) पर्यटन हेतु :

एक हाथी पर चार व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी. वयस्कों के साथ 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क अनुमति दी जाएगी. हाथी की सवारी अधिकतम एक घण्टे के लिये होगी. हाथी पर बैठकर/सफारी से बाघ या तेंदुआ दर्शन की अधिकतम समय-सीमा 10 मिनट से अधिक नहीं होगी. हाथी की सवारी/सफारी का शुल्क की दरें निम्नानुसार होंगी:

अनुक्रमांक	विवरण	भारतीय नागरिक	विदेशी नागरिक	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बाघ/तेंदुआ दर्शन	200	600	प्रति व्यक्ति
2	हाथी सफारी	500	1500	प्रति व्यक्ति

(ख) फिल्मोंकन एवं फोटोग्राफी के लिए :

भारतीय शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान	-	रुपए 5,000 (पांच घंटे)
अन्य	-	रुपए 15,000 (पांच घंटे)

उपरोक्त खण्ड (ख) के अनुसार किराये पर लिए गए हाथी पर सवार सभी व्यक्तियों को नीचे उपनियम (10) के अनुसार फिल्मोंकन/फोटोग्राफी की अनुमति लेना आवश्यक होगा.

(10) फिल्मोंकन/फोटोग्राफी :

(क) फिल्मोंकन/फोटोग्राफी की अनुमति क्षेत्र संचालक/ वन संरक्षक द्वारा दी जाएगी. यदि किसी व्यक्ति द्वारा अतिरिक्त समय में और सामान्य पर्यटकों के मार्ग से हटकर फिल्मोंकन/फोटोग्राफी हेतु अनुमति चाही जाती है तो ही ये दरें लागू होंगी. यह शुल्क फिल्मोंकन/फोटोग्राफी की पूरी अवधि के लिए अग्रिम रूप से देय होगा.

श्रेणी	भारतीय शैक्षणिक /अनुसंधान संस्थान	अन्य
फिल्मोंकन (जिसमें स्टिल फोटोग्राफी सम्मिलित है)	रुपए 15,000 प्रतिदिन	रुपए 40,000 प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन
स्टिल फोटोग्राफी	रुपए 5,000 प्रतिदिन	रुपए 15,000 प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन

(ख) **प्रतिभूति निक्षेप** : उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त, फिल्मोंकन की अनुमानित कालावधि के लिए रुपए 1,00,000/- (एक लाख) अथवा रुपये 10,000/- (दस हजार) प्रतिदिन, जो भी कम हो, एकमुश्त की प्रतिभूति निक्षेप फिल्मोंकन से पूर्व जमा करानी होगी. स्टिल फोटोग्राफी के लिए प्रतिभूति निक्षेप रुपये 20,000/- (बीस हजार) या रुपये 5,000 (पांच हजार) प्रतिदिन, जो भी कम हो, होगी. प्रतिभूति निक्षेप हेतु निबंधन तथा शर्तें क्षेत्र संचालक/ वन संरक्षक द्वारा निर्धारित किये जाएंगे.

(ग) **क्षतिपूर्ति** : फिल्मोंकन/फोटोग्राफी के अनुज्ञप्तिधारी या उसके किसी सहायक/हेल्पर या सेवक द्वारा अनुज्ञप्ति के किसी निबंधनों तथा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में, उप संचालक/वन मण्डलाधिकारी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी अधिकारी द्वारा प्रत्येक उल्लंघन के लिए रुपये 10,000/- (दस हजार) तक का जुर्माना वसूल किया जा सकेगा. यह जुर्माना, पक्षकार को सुनवाई का मौका दिए बिना वसूल नहीं किया जाएगा. पक्षकार द्वारा निश्चित समय-सीमा के भीतर जुर्माने का भुगतान न किए जाने की दशा में यह जुर्माना प्रतिभूति निक्षेप से वसूल किया जा सकेगा.

(घ) **सामान्यतः** किसी राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य में फोटोग्राफी/फिल्मोंकन की अनुमति केवल प्राकृतिक सौंदर्य वन्यजीव या क्षेत्र के प्राकृतिक इतिहास को अभिलिखित करने हेतु ही प्रदान की जावेगी. तथापि, सरकार विशेष परिस्थितियों में किसी अन्य कारण से ऐसे कार्य की अनुमति दे सकेगी, बशर्तें कि इसका क्षेत्र की पारस्थितिकी या वन्यजीवों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े. ऐसी अनुमति विशेष दरों पर दी जावेगी जो किसी भी दशा में उपरोक्त उप नियम (9) (ख) और (10)(क), में विहित दर के 10 गुने से कम नहीं होगी.

## (11) पर्यटकों द्वारा फोटोग्राफी :

वीडियो कैमरा	-	निःशुल्क
स्टिल कैमरा	-	निःशुल्क

(12) नौकायान : यह दरें संचालक/वनसंरक्षक द्वारा निर्धारित की जाएंगी. इस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित नाविक, लाइफ गार्ड एवं लाईफ जैकेट का होना अनिवार्य होगा.

(13) स्थानीय गाईड एवं नेचुरेलिस्ट : संरक्षित क्षेत्र में पर्यटकों के मार्गदर्शन हेतु सभी पर्यटकों के साथ संचालक/क्षेत्र संचालक/मुख्य वन संरक्षक या मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी द्वारा लायसेंसशुदा स्थानीय गाईड या नेचुरेलिस्ट होगा. स्थानीय गाईड या तो वह व्यक्ति होगा जो उस जिले या उन जिलों, जिनमें राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य स्थित है, का हो और सामान्यतः वहां निवास करता हो अथवा मध्यप्रदेश राज्य का सेवानिवृत्त वन अधिकारी हो. उच्च कोटि के गाईड को नेचुरेलिस्ट निर्दिष्ट किया जाएगा. गाईडों की श्रेणियां, योग्यताएं एवं पारिश्रमिक निम्नानुसार होगा:

(क) गाईड एवं नेचुरेलिस्ट हेतु न्यूनतम योग्यताएं : ( एक ) नेचुरेलिस्ट श्रेणी एन-1 : स्नातक, अंग्रेजी या फ्रेंच या जर्मन भाषा का ज्ञान, स्तनधारी वन्यप्राणी, पक्षी, पौधे, तितलियों एवं सांपों की पहचान एवं उनके संबंध में रोचक तथ्यों का ज्ञान, पर्यावरण एवं वनों के संरक्षण का वैज्ञानिक आधार पर ज्ञान, वन्यप्राणियों के मार्ग एवं चिन्हों का ज्ञान, वन्यप्राणी गणना एवं गणना के आंकड़ों का ज्ञान, इंटरप्रिटेशन सेंटर, पर्यटक नियमों, क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए यह जानकारी, राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के भूविज्ञान एवं भूआकृति विज्ञान का ज्ञान, क्षेत्र के वनों एवं वन्यप्राणियों के संबंध में पूर्ण जानकारी, स्थानीय आदिवासी संस्कृति का सामान्य ज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा में प्रमाण-पत्र तथा गाईड के रूप में न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव.

(दो) नेचुरेलिस्ट श्रेणी एन-2 : स्नातक अंग्रेजी या फ्रेंच या जर्मन भाषा का ज्ञान, स्तनधारी वन्यप्राणियों एवं पक्षियों का ज्ञान, सामान्य वृक्षों की पहचान के जीवों और पौधों के अन्य समूहों का ज्ञान तथा उनके संबंध में रोचक तथ्यों का ज्ञान, वन एवं पर्यावरण संरक्षण का वैज्ञानिक आधार पर ज्ञान, वन्यप्राणियों के मार्ग एवं चिन्हों का ज्ञान, वन्यप्राणी गणना एवं गणना के आंकड़ों का ज्ञान, इंटरप्रिटेशन सेंटर, पर्यटक नियमों, क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए, की जानकारी, राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के भू विज्ञान एवं भू आकृति विज्ञान का ज्ञान, क्षेत्र के वनों एवं वन्य प्राणियों के संबंध में पूर्ण जानकारी, स्थानीय आदिवासी संस्कृति का सामान्य ज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा में प्रमाण-पत्र तथा गाईड के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव.

(तीन) गाईड श्रेणी जी-1 : 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, अंग्रेजी के कामकाज का ज्ञान, सभी स्तनधारी वन्यप्राणियों एवं सामान्य पक्षियों की पहचान, सामान्य वृक्षों की पहचान एवं उनके बारे में रोचक तथ्यों का ज्ञान, राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के वनों के बारे में सामान्य ज्ञान, वन्यप्राणियों के मार्ग एवं चिन्हों का ज्ञान, वन्यप्राणी गणना एवं गणना के आंकड़ों का ज्ञान, इंटरप्रिटेशन सेंटर, पर्यटक नियमों, क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए, की जानकारी, राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के भूविज्ञान एवं भू आकृति विज्ञान का ज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा में प्रमाण-पत्र तथा गाईड के रूप में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव.

(चार) गाईड श्रेणी जी-2 : वन्य प्राणियों का ज्ञान, वनमार्गों का ज्ञान, सामान्य वृक्षों की पहचान एवं उनके बारे में रोचक तथ्यों का ज्ञान, क्षेत्र के वनों एवं वन्यप्राणियों के विषय में सामान्य ज्ञान, वन्यप्राणी प्रबंधन, वन्यप्राणी व्यवहार, रहवास आदि का ज्ञान, पर्यटक नियमों, क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए, की जानकारी, वनों एवं वन्यप्राणियों के बारे में अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा.

(ख) नैचुरेलिस्ट/गाईड के लिए शुल्क :-

अनुक्रमांक	श्रेणी	दर (रुपए)		
		वाहन से पार्क भ्रमण (एक राउंड)	ट्रेकिंग/साईकिल से भ्रमण (प्रतिदिन)	कैपिंग (एक दिन एवं दो रातें)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	एन-1	500	900	2000
2	एन-2	400	600	1000
3	जी-1	300	500	800
4	जी-2	200	300	500
5	कुली	-	200	350

(ग) किसी लाइसेंसशुदा गाइड या नेचुरेलिस्ट को कदाचार, नियमों का भंग या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, उसको सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद अस्थायी या स्थायी रूप से वनक्षेत्रपाल से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा पर्यटकों का मार्गदर्शन करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

(14) प्रवेश हेतु प्रतिबंधित अवधि :- (क) सामान्यतः वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, रालामण्डल अभयारण्य, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, केन घड़ियाल अभयारण्य का रनेह फॉल, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का पाण्डव फॉल, पचमढी के पर्यटक स्थल, चिड़ीखोह (नरसिंहगढ़ अभयारण्य), औरछा अभयारण्य, रातापानी अभयारण्य में भीम बैठिका, वरूंसोत तथा देलावाड़ी एवं माधव राष्ट्रीय उद्यान के बंद होने की कोई अवधि नहीं होगी। अन्य राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों में एक जुलाई से पन्द्रह अक्टूबर तक के बीच की अवधि प्रतिषिद्ध बंधित अवधि होगी। तथापि, मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक की अनुमति से विनिर्दिष्ट मार्गों/स्थलों पर ट्रेकिंग, साईकिल भ्रमण, कैपिंग एवं हाइड/वाँच टॉवर के उपयोग एवं फिल्मांकन के लिए प्रतिबंधित अवधि में अनुज्ञा-पत्र जारी किए जा सकेंगे।

(ख) राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य में वाहन से भ्रमण की अनुमति केवल सूर्योदय से आधा घण्टा पूर्व एवं सूर्यास्त के आधा घण्टा बाद तक के लिए ही दी जाएगी। प्रवेश करने एवं बाहर आने का वास्तविक समय संबंधित राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के क्षेत्र संचालक/संचालक/वन मण्डलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

(15) निःशुल्क प्रवेश एवं विशेष शुल्क :- (क) प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को (वयस्कों के साथ) प्रवेश शुल्क एवं हाथी पर भ्रमण करने के शुल्क से छूट रहेगी।

(ख) पूर्व सूचना देकर अधिकृत अध्ययन प्रवास पर आये शैक्षणिक संस्थाओं, स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के छात्रों को 50 प्रतिशत प्रवेश शुल्क देय होगा। यह सुविधा एक संस्था को वर्ष में एक बार उपलब्ध करवाई जाएगी तथा केवल एक राउंड तक सीमित होगी। विभिन्न राज्यों के वन विभागों तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्था के छात्रों/प्रशिक्षणार्थियों, प्रशिक्षकों एवं सहायक कर्मचारीवृन्द स्टाफ को निःशुल्क प्रवेश की पात्रता होगी। मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, क्षेत्र संचालक अथवा वन संरक्षक विशेष परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति या समूह को निःशुल्क प्रवेश की अनुमति दे सकेंगे।

(ग) किसी संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी को पर्यटक यातायात के परिणामस्वरूप वन्यप्राणियों तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को नियंत्रित करने की दृष्टि से किन्हीं भी विशेष या संवेदनशील क्षेत्रों/मार्गों/गतिविधियों हेतु लिखित आदेश द्वारा कम से कम 2 माह की सूचना देने के उपरांत साधारण दर से दोगुनी दरें मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक से विचार-विमर्श के परामर्श से निर्धारित करने की शक्तियां होंगी।

- (16) **विविध** :— (क) मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, यदि आवश्यक समझें, तो किसी भी संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों की संख्या उनकी धारण क्षमता के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं.
- (ख) किसी भी राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य में अनधिकृत रूप से कोई भी विज्ञापन, साइनबोर्ड, बैनर और चार्ट आदि प्रदर्शित करना, चिपकाना, परिनिर्मित करना या ऐसा करते रहना निषिद्ध होगा.
- (ग) कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य में किसी भी वृक्ष, पुल, चट्टान, बागड़, सीट, नोटिस बोर्ड, कूड़ादान अथवा किसी भी अन्य वस्तु अथवा स्थल पर लिखी गयी बात अथवा चिन्ह आदि को नष्ट नहीं करेगा क्षति नहीं पहुंचाएगा अथवा विकृत नहीं करेगा.
- (घ) अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति विशेष या सभी व्यक्तियों के लिये प्रवेश/भ्रमण अथवा उनके द्वारा किसी मार्ग या स्थल विशेष का उपयोग प्रतिबंधित किया जा सकेगा.
- (ङ) सरकार के विनिर्दिष्ट आदेशों के सिवाय राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य की सीमाओं के भीतर कोई सभा, सम्मेलन, बैठक आदि का आयोजन नहीं किया जा सकेगा. यह प्रतिबंध मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी मण्डल, मध्यप्रदेश के वन विभाग के अधिकारियों की बैठकों, वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण एवं प्रबंधन से संबद्ध प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों के वन अधिकारियों तथा प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा कार्यशालाओं के आयोजन पर लागू नहीं होगा.
- (च) किसी भी व्यक्ति को संबंधित संचालक/उपसंचालक/वन मण्डल अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों में स्पॉट लाइट का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी.
- (छ) फिल्मों, ट्रेकिंग, कैम्पिंग एवं वॉच टॉवर/हाईड आदि के उपयोग के लिये विस्तृत मार्गदर्शक निर्देश मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक द्वारा मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड के परामर्श से जारी किए जायेंगे, जिन्हें इन नियमों का अंश माना जाएगा.
- (ज) इन नियमों या उद्यान प्रबंधन द्वारा जारी किन्हीं निर्देशों के किसी भी उल्लंघन के लिए वनक्षेत्रपाल से अनिम्न स्तर का कोई अधिकारी, रुपये 500/- तक की क्षतिपूर्ति वसूल करने का हकदार होगा. ऐसी क्षतिपूर्ति की दरें क्षेत्र संचालक/वनसंरक्षक द्वारा निर्धारित की जायेंगी. यद्यपि किसी भी व्यक्ति का, उसके द्वारा किए गए किसी कदाचार अथवा नियमों के उल्लंघन के कारण संचालक/क्षेत्र संचालक/मुख्य वनसंरक्षक द्वारा किसी राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य में, प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है. जैसा कि ऐसे अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए.
- (झ) दरों के निर्धारण के संबंध में नेपाल के नागरिक भारतीय नागरिकों के समान माने जायेंगे.
- (ञ) क्षेत्र संचालक/वनसंरक्षक द्वारा किसी भी राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य में पर्यटकों द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित किया जा सकता है.
- (ट) ऐसी कोई अन्य पर्यटक सेवा/सुविधा, जिसका इन नियमों में उल्लेख नहीं है, मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक की पूर्वानुमति से प्रारंभ की जा सकती है.
- (ठ) अप्रैल, 2011 से क्षेत्र संचालक/संचालक/मुख्य वन संरक्षक पर्यटकों के लिये संरक्षित क्षेत्र को सप्ताह में एक दिन बंद रखने के लिये सक्षम होगा. तथापि, निर्धारित दिन को कोई अवकाश हो तो संरक्षित क्षेत्र को अगले कार्य दिवस को बंद रखा जा सकेगा. सभी संरक्षित क्षेत्र प्रत्येक वर्ष होली के दिन भी पर्यटकों हेतु बंद रहेंगे.”



No. F-14-82-1988-X-2.—In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972) the State Government hereby makes the following amendment in the Wild Life (Protection) (Madhya Pradesh) Rules, 1974, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, for rule 34, the following rule shall be substituted, namely :—

“34. Entry to National Parks and sanctuaries for the purposes of section 28(1) (b) and (d) (photography and tourism) :

- (1) No person shall enter a national park or a Sanctuary for the purposes of photography and/ or tourism, without an entry permit issued by the Forest Department.
- (2) **Validity of the Permit.**— The permit issued under sub-rule (1) shall be valid for a single entry or for the period mentioned in the permit.
- (3) **Entry Fee.**— The fees payable for the entry permits mentioned in sub-rule (1) shall be as follows:

TABLE I

Sl. No.	Purpose of Entry	Tiger Reserve/ Protected Area	Two Wheeler Vehicles		Light Vehicles (up to 8 persons)		Minibus (9 to 32 persons)		Remarks
			Indian	Fore-igners	Indian	Fore-igners	Indian	Fore-igners	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Viewing wildlife in Vehicles (Per Round).	All Tiger reserves	-	-	1000	2000	1600	12000	Rates for fore-igners shall be applicable if persons of mixed nationalities travel in a vehicle.
		Other Protected Areas	-	-	400	1500	1000	10000	
2	Visiting Specific Spots in Vehicles.	Pachmarhi View Points	100	600	250 (up to 5 persons) 300 (6 to 10 persons)	1500	1000	10000	If a person has paid for a round in the park, the charges for visiting specific spots shall not be payable separately.
		Van Vihar National Park	50	200	150 (up to 5 persons) 200 (6 to 8 Persons)	600 (up to 5 persons) 800 (6 to 8 Persons)	600	2500	
		Other Specified Spots (Pandav Falls, Raneh Falls Raneh falls and any other spots earmarked by the management.)	40	200	200	1000	400	2000	

TABLE II

Sr. No.	Purpose of Entry	National Park/ Sanctuary/ Spot	Indian Citizens	Foreigners	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Visiting a Specific Spot on Foot.	Fossil National Park	10	150	Per person
		Pachmarhi View Points	20	200	—do—
		Van Vihar National Park	20	200	—do—
		Others	15	150	—do—
2	Trekking/Cycling (on specified routes)	Van Vihar National Park	50	500	Per day, per person.
		Others	100	1000	—do—
3	Camping (Only at compounds earmarked by Field Director/ Conservator of Forests)	All National Parks and Sanctuaries	300	3000	Per night. The rate includes trekking/cycling on designated routes.  Arrival at and departure from the camp site shall be allowed only during normal tourism hours.
4	Wildlife Viewing from Hide/Machan/Watch Towers.	Tiger Reserves	150	1500	Management can limit the number of persons at any spot according to the sensitivity of the site.
		Others	75	750	
5	Wildlife viewing from Govt. Vehicle (Minibus)	All (except Van Vihar)	100	500	Per person/ per round.

**Remarks.**— (i) The fee for an auto rickshaw shall be double the rate for two wheelers.

(ii) Rs. 50 for Indians and Rs. 500 for Foreigners shall be charged for every person in excess of 32 in a minibus.

(iii) The Field Director/Conservator of Forests may restrict the entry of any category of vehicles or can decide the specifications of the vehicles that may be allowed in the protected areas.

(iv) Drivers and guides/naturalists shall be counted in the number of passengers allowed in a vehicle.

(4) Rates for visiting Bhim Bathika, the World Heritage Site in Ratapani Sanctuary, shall be as follows:

S.No.	Description	Entry Fee (Rs.)	
		Indian	Foreigners
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tourists	10	100
2	Light Vehicles	50	200
3	Mini Bus / Others	100	400

(5) Handicapped persons and the persons below poverty line visiting Van Vihar National Park on foot or on bicycle will be given 50% rebate on the entry fee. They will have to produce certificate issued by the Competent Authority at the entry gate to avail the rebate.

(6) For morning walkers cyclist in Van Vihar National Park, the regular pass shall be made for visitors, the fees per person for the same shall be as follows:

Monthly fee - Rs. 100/  
Annual fee - Rs. 1000/-  
Life membership - Rs. 15000/-

(7) A commercial fee at twice the rates mentioned in sub-rule (3) shall be payable for the entry permits issued in the name of a hotel, lodge or any other commercial or business entity. Such permits shall be called commercial tourist permits.

(8) A Field Director/Director/Chief Conservator of Forests in charge of a national park or sanctuary may provide for the registration of drivers regularly used for carrying tourists. Any unregistered driver carrying tourists in such national parks or sanctuaries shall be charged at double the rate for registered vehicles of the same capacity.

(9) **Elephant Rides.**—(a) **For Tourism.**—Only four persons shall be allowed to sit on an elephant. Children up to 5 years of age shall be allowed free, along with adults. An elephant ride shall be for a maximum of one hour. The maximum time limit for viewing a tiger or leopard from elephant ride/safari shall not be more than 10 minutes.

Elephant rides/ safari shall be charged at the following rates:

S.No.	Description	Indian Citizens	Foreigners	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tiger/Leopard Show	200	600	Per person
2	Elephant safari	500	1500	Per person

(b) **For Filming and Photography** :—Indian Educational/ Reserch Institutes  
-Rs. 5,000 (Five hours)  
Other - Rs. 15,000 (Five hours)

Every person aboard an elephant hired as per clause (b) above, shall require a filming/ photography permission in accordance with sub-rule (10) below.

(10) **Filming/Photography.**—(a) Permission for filming/ photography shall be given by the Field Director/Conservator of Forests. These rates shall be applicable only if permission is asked for filming / photography beyond the time and away from the routes for ordinary tourists.

This fee shall be payable in advance-for the entire period of filming/photography.

Category (1)	Indian Educational/ Research Institutes (2)	Others (3)
Filming (including still photography)	Rs. 15,000 per day	Rs. 40,000 per person/day
Still Photography	Rs. 5,000 per day	Rs. 15,000 per person/day

- (b) **Security Deposit.**—Besides the above fee, a security deposit of Rs. 1,00,000/- (1 Lakh) or Rs. 10,000/- (Ten Thousand) per day for the estimated period of filming, whichever is less, shall have to be deposited in full, prior to filming. For still photography the Security Deposit shall be Rs. 20,000/- (Twenty Thousand) or Rs. 5,000/- (Five Thousand) per day, whichever is less. The terms and conditions governing the security deposit will be determined by the concerned Field Director / Conservator of Forests.
- (c) **Compensation.**—In case of any violation of the terms and conditions by the bearer of the Filming/Photography permit or by his assistant/helper or servant, a fine upto Rs. 10,000/- (Ten Thousand) can be levied by an officer not below the rank of Deputy Director / Divisional Forest Officer for every violation. The fine will not be levied before the party has been given an opportunity to be heard. The fine can be recovered from the Security Deposit in the event of the party not paying the fine within the stipulated time-limit.
- (d) Permission for photography/filming in a National Park or Sanctuary shall ordinarily be given only for recording the natural beauty, wildlife or natural history of the area. However, the Government may permit such work for any other reason under special circumstances, provided it does not adversely impact the ecology or wildlife of the area. Such permission shall be charged at special rates, which shall in no case be less than ten times the rate prescribed under sub-rule 9 (b) and (10) (a) above, as the case may be.
- (11) **Photography by Tourists.**  
Video Camera - Free  
Still Camera - Free
- (12) **Boating.**—The rates will be determined by the concerned Director/Conservator of Forests. Trained boatmen, life guards and life jackets will be compulsory for providing this, facility.
- (13) **Local Guides and Naturalists.**—All visitors shall be accompanied by a local guide or naturalist licensed by the Director / Field Director/Chief Conservator, or by any other officer designated by the Chief wildlife Warden, to conduct visitors in the protected areas. A local guide shall either be a person who belongs to and is ordinarily resident in the district or districts in which the national park or the sanctuary is situated, or a retired forest official of the State of Madhya Pradesh. Guides of superior quality will be designated as Naturalists. The categories, qualifications and remuneration of guides will be as follows:
- (a) **Minimum Qualifications for Guides and Naturalists.**—(i) **Naturalist Category N-1 :** Graduate, knowledge of English or French or German, identification of mammals, birds, flora, butterflies and snakes and knowledge of interesting facts about them, knowledge of the scientific basis for conservation of environment and forests, knowledge of animal tracks and signs, wildlife census and census figures, knowledge of interpretation centre, tourist rules, do's and don'ts, geology and geomorphology of the National Parks/Sanctuary,

complete knowledge about the forests and wildlife of the area, general knowledge about local tribal culture, certificate of first aid and a minimum experience of 5 years as a guide.

- (ii) **Naturalists Category N-2** : Graduate, knowledge of English or French or German, knowledge of mammals and birds, identification of common trees, general knowledge about other groups of animal and plants and knowledge of interesting facts about them, knowledge of the scientific basis for conservation of environment and forests, knowledge of animal tracks and signs, wildlife census and census figures, knowledge of interpretation centre, tourist rules, do's and don'ts, geology and geomorphology of the National Park/Sanctuary, complete knowledge about the forests and wildlife of the area, general knowledge about local tribal culture, certificate of First Aid and a minimum experience of 3 years as a guide.
- (iii) **Guide category G-1** : Class 12 pass, working knowledge of English, identification of all mammals and common birds, identification of common trees and knowledge of interesting facts about them, general knowledge about forests of the National Park/Sanctuary, knowledge of animal tracks and signs, wildlife census and census figures, knowledge of interpretation centre, tourist rules, do's and don'ts, geology and geomorphology of the National Park/Sanctuary, certificate of first aid and a minimum experience of 3 years as a guide.
- (iv) **Guide category G-2** : Knowledge of wildlife, knowledge of roads, identification of common trees and knowledge of interesting facts about them, general knowledge about the forests and wildlife of the area, knowledge of wildlife management, animal behavior, habitat etc., knowledge of tourist rules, do's and don'ts, Eagerness to learn more about forests and wildlife.
- (b) **Fees for Naturalists/Guides:**

Sl. No.	Category	Rate (Rupees)		
		Excursions in Vehicles (one round)	Trekking/ Cycling (per day)	Camping (one day and two nights)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	N-1	500	900	2000
2	N-2	400	600	1000
3	G-1	300	500	800
4	G-2	200	300	500
5	Porter	-	200	350

- (c) A licensed guide or naturalist may be barred from conducting visitors, temporarily or permanently, by an officer not below the rank of a Forest Ranger, for reasons of misconduct, breach of rules or for any other sufficient reason, after giving him an opportunity to be heard.
- (14) **Closed Period.**—(a) Ordinarily there shall be no closed season for Van Vihar National Park, Ralamandal Sanctuary, Fossil National Park, Raneh Falls of Ken Gharial Sanctuary, Pandav Falls of Panna National Park, Tourist spots of Pachmarhi, Chidikhoh (Narsinghgarh Sanctuary), Orchha Sanctuary, Bhimbathika, Barur sot and Delavadi in Ratapani Sanctuary and Madhav National Park. The period between 1st July and 15th October shall be the prohibited period for other National Parks and Sanctuaries. However, permits for trekking, cycling, camping at specified routes/places and for the use of hides/watchtowers and filming during the restricted period can be issued with the permission of the Chief Wildlife Warden.

- (b) Excursions by vehicles inside National Park/Sanctuary will be permitted only between half an hour before sunrise and up to half an hour after sunset. Actual entry and exit times shall be determined by the concerned Field Director/Director/Divisional Forest Officer of the National Park/Sanctuary.
- (15) **Free Entry and Special Fees.**—(a) Children up to 5 years of age (accompanied by adults) shall be exempted from payment of entry fee and elephant ride fee in all the National Parks/ Sanctuaries of the State.
- (b) Authorized study tours of students belonging to educational institutions, schools, colleges, universities shall be charged 50% of the entry fee if prior information is given. This facility shall be allowed to an institution only once a year and shall be limited to only one visit. Students/trainees, trainers and support staff of the training and research institutions of different State Forest Departments and the Ministry of Environment and Forest, will be entitled for free entry. The Chief Wildlife Warden, Field Director or the Conservator of Forests, under special circumstances, can permit free entry to any person or group.
- (c) The officer in-charge of a protected area shall have the powers to impose special rates at double the ordinary rate, for any sensitive or premium areas/routes/activities, through a written order, in order to regulate the impact on wildlife and environment resulting from the tourist traffic after giving at least two month notice, in consultation with the Chief Wild Life Warden.
- (16) **Miscellaneous.**—(a) The Chief Wildlife Warden may, if deemed necessary, limit the number of vehicles entering a protected area, on the basis of its carrying capacity.
- (b) Unauthorized display, sticking or preparation of advertisements, signboards, banners and charts etc. or continue to do so, in any National Park or Sanctuary will be prohibited.
- (c) No person shall destroy, damage or deface any writing or signs etc. on any tree, bridge, rock, fence, seat, notice board, trash bin or any other article or place, in any National Park or Sanctuary.
- (d) Under unavoidable circumstances, the entry / excursions, or the use of any route or place by any person or by all persons can be prohibited.
- (e) No conferences, gatherings, meetings etc. can be organized inside National Parks/Sanctuaries except under specific orders of the Government. This restriction shall not apply to the meetings of the Madhya Pradesh State Wildlife Board, meetings of Forest Officers of Madhya Pradesh, training programs or workshops for Forest Officers and trainees belonging to institutions imparting training in forest and wildlife conservation and management.
- (f) No person shall be allowed to use spot lights inside National Parks/Sanctuaries by anyone unless permitted in advance by the concerned Director/Deputy Director / Divisional Forest Officer.
- (g) Detailed guidelines for filming, trekking, camping and use of watch tower/hides etc. will be issued by the Chief Wildlife Warden in consultation with the Madhya Pradesh Ecotourism Development Board. These guidelines will form part of these rules.
- (h) An Officer not below the rank of a Forest Ranger shall be entitled to recover compensation up to Rs. 500 for any breach of these rules or directions issued by the park management. The rates of such compensation shall be decided by the Field Director/Conservator of Forests. However, any person can be barred from entering a national park or a sanctuary by the respective Director/Field Director / Chief Conservator of Forests, for any gross misconduct or breach of rules, as determined by such officer.

- 
- (i) The citizens of Nepal shall be treated at par with Indian citizens with regard to the determination of fees.
- (j) The Field Director/Conservator of Forests can prohibit the use of mobile phones by visitors inside any National Park/Sanctuary.
- (k) Any other visitor service/facility, not mentioned in these rules, may be started with the prior permission of the Chief Wildlife Warden.
- (l) With effect from April 2011, the Field Director/Director/Chief Conservator of Forests shall be competent to close the protected area for tourists for one day in a week. However, if the said day is a holiday, the closure can be on the next working day. The protected areas shall also remain closed to tourists on the day of Holi every year.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. पी. शर्मा, अपर सचिव.